UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 3517 /36 सी.   दिनांक रानीखेत 26/08 ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अंबेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online no. FP/UK/ROAD/150404/2021)**।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 544/12–1(2) दिनांक 14.07.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 2999/36सी. दिनांक 28.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–MLA9/लो.नि.–01/2001–6(पी.डब्लू.डी.)/2001 दिनांक 29.10.2001 द्वारा हल्का वाहन मार्ग जिसकी चौड़ाई 4.25 भी निर्धारित थी, न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मार्ग की चौड़ाई को कम कर प्रस्ताव [2]में संशोधन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। आपके कार्यालय द्वारा शासनदेश की प्रति स्पष्ट न होने के कारण प्रस्ताव ऑन लाईन वापस प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त शासनादेश की पठनीय छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– सम्बन्धित शासनादेश की छायाप्रति।

26.08.23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 3517 /36सी.   तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26.08.23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

संख्या: /लो0नि0-1/2001-6(1)पीडब्लूडी/20.

प्रेषक,

चन्द्र सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2001।

विषय :- लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल द्वारा भविष्य में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25 मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही संभव है। हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में विशिष्टियों में अन्तर होने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक वित्तीय उपाशय का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है। इसप्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है। क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- इण्डियन रोड कांग्रेस की पर्वतीय मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्गत आईआरसी कोड में हल्के वाहन मार्ग ~~हल्के वाहन मार्ग~~ निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20 मीटर प्रस्तावित है।

3- हल्का वाहन मार्गों पर वर्षा ऋतु में स्लिप अथवा बोल्डर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त /अवरूद्ध हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है। इन मार्गों के अनुरक्षण पर कम ध्यान दिये जाने के कारण मार्ग लम्बे समय तक

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत

8056/22/..

समाप्त प्रायः हो जाता है। मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.95 मीटर निर्धारित है। अतः हल्के वाहन मार्ग तथा मोटर मार्ग निर्माण में 1.70 मीटर अतिरिक्त पहाड़ कटान, इसी अनुपात में प्रत्येक स्कपर की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। शेष कार्य जैसे रिटेनिंग वॉल/ब्रेस्टवाल, नाली, पैराफिट्स, किमी, हैक्टोमीटर स्टोन दोनों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय भूमि अध्याप्ति पर भी करना पड़ता है।

4- अतः उक्त समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं हो पाती है। साथ ही शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है। अतः भविष्य में हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हल्का वाहन मार्ग पूर्व में स्वीकृत हैं, उनपर कार्य प्रारम्भ न किये जाएं बल्कि उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगणन प्रस्तुत किये जाएं। जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन हैं, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा भविष्य में प्रदेश के समस्त हल्का वाहन मार्गों को चरणबद्ध रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह)
अपर सचिव.

संख्या MLA-109(1)/लो0नि0-1/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
2- निजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन
4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6- मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा।
7- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।
8- समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।

---3

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रानीखेत